

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/एटी/4031/2008/181

दिनांक- 26/09/08

:- आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रुपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं०	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा० अनिल कुमार, पुत्र श्री छोटे लाल, द्वारा मातादीन व्याख्याता, जेल के पास, पुराना पॉवर हाउस, पो० बहरोड, जिला अलवर	197	06-01-78	Gen	प्रा०स्वा०केन्द्र रेवतडा (जालोर)
2.	डा० राजेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्रहलाद दत्त शर्मा, 37, शक्ति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	206	07-05-68	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र देसूरी (पाली)
3.	डा० राजेश गर्ग, पुत्र श्री धनश्याम गर्ग, एक्सईएन, आरएसइबी, वेद कॉलोनी, गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर	223	10-05-75	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र कुशलगढ (बांसवाडा)
4.	डा० अनन्त जैन, पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन, जे-बी 1 न्यू न्यायदीप, गांधीनगर, जयपुर (राजस्थान)	326	11-07-79	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र भीम (राजसमंद)
5.	डा० अरविन्द जैन पुत्र श्री महावीर लाल जैन (एडवोकेट) पतासी वाली की गली काफला बाजार, टोक	386	25-04-77	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र जहाजपुर (भीलवाडा)
6.	डा० मनीष सक्सेना पुत्र श्री रामप्रकाश सक्सेना, 603-बी, आर०के० पुरम, कोटा	419	22-06-74	Gen	प्रा०स्वा०केन्द्र शिंगोली (भीलवाडा)
7.	डा. विजय कुमार गर्ग, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, द्वारा विजय स्टोर्स, सपोटरा, करौली	428	02-06-80	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र छोटीसादडी (प्रतापगढ)
8.	डा० बाबू लाल शर्मा, पुत्र श्री केदार प्रसाद शर्मा, सी/ओ. हरीओम कोलोनी, मु.पो खण्डार, तह. खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर (राजस्थान)	464	11-05-83	Gen	प्रा०स्वा०केन्द्र बोराव (चित्तौडगढ)
9.	डा० राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश ग्राम बासकालीपहाडी वाया ईस्लामपुर, झुंझुनु	671	01-06-68	OB C	प्रा०स्वा०केन्द्र उदयमंडी (झुंझुनु)
10.	डा. ओम प्रकाश मालव पुत्र श्री रामस्वरूप मालव पी.एच.सी. बमोरीकलां, तहसील मांगरोल जिला बांरा	684	01-01-75	OB C	प्रा०स्वा०केन्द्र बंबोरीकलां (बांरा)
11.	डा० श्वेता डूडी, पत्नी डा० रमेश चन्द्र डूडी, वार्ड नं. 13, लुहारों का मौहल्ला, नोहर, हनुमानगढ	743	06-06-79	G-F	सामु०स्वा०केन्द्र सांगरिया (हनुमानगढ)
12.	डा० रेनु बंसल पुत्री श्री पवन कुमार बंसल, बी-148, कीर्ति नगर, टोक रोड, जयपुर-302018	748	24-11-79	G-F	प्रा०स्वा०केन्द्र रूपाहेलीखुर्द (भीलवाडा)
13.	डा० प्रीति मूड, पत्नी डा० मनोज कुमार ढाका, वी०पी०ओ० सिद्धमुख तहसील राजगढ, चूरु, राजस्थान	757	07-11-80	G-F	प्रा०स्वा०केन्द्र लालगढ (चूरु)

14.	डॉ. लीना गोयल, पुत्री श्री योगेश गोयल द्वारा सचिन डेकोरेटर्स, आदर्श मार्केट, खैरथल, अलवर, राज.-301404	766	18-10-81	G-F	सामु0स्वा0केन्द्र खैरथल (अलवर)
15.	डा. दीपशिखा गुप्ता, पुत्री श्री महेश कुमार गुप्ता, 22, जगदीश कॉलोनी, महेश नगर, टोंक फाटक, जयपुर-302015	821	20-04-82	G-F	सामु0स्वा0केन्द्र रायपुर (पाली)
16.	डा. प्रदीप कुमार मीणा, सी-339, तलवंडी कोटा-324005	881	11-10-77	ST-M	सामु0स्वा0केन्द्र कपासन (चित्तौडगढ़)
17.	डा. राम चन्द्र शैरावत पुत्र श्री गणपत राम शैरावत, ई-1/ए, हरि नगर, शास्त्री नगर, जयपुर-302016	885	15-08-78	OB C	प्रा0स्वा0केन्द्र आंतरी (डूंगरपुर)
18.	डॉ0 महेश कुमार महिच, पुत्र श्री मोतीराम ग्रा0 मानासी त0 लक्ष्मणगढ़, सीकर-332311	1140	10-06-76	SC	प्रा0स्वा0केन्द्र खुडेरबडा (चुरू)
19.	डॉ. बाबूलाल दरिया पुत्र श्री जगदीश नारायण दरिया, म.न.बी-76-ए श्याम मिश्र मण्डल नगर मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर 302013	1188	01-11-79	SC	प्रा0स्वा0केन्द्र लालासर बनीरोतान (चुरू)
20.	डा. बीरबल मीणा, पुत्र श्री चौथमल मीणा, ग्राम कूण्डला, पोस्ट सीसवाली, तह0 मांगरोल जिला बांरा	1197	04-08-80	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बोहत (बांरा)
21.	डा. धानसिंह मीणा, 142, नन्दपुरी, 11 सेक्टर के पास, मालवीय नगर, जयपुर-302017	1211	01-06-62	ST-M	सामु0स्वा0केन्द्र वजीरपुर (सवाईमाधोपुर)

"These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 7124/08 and 7103/08.

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

26/9/18

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 10) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 10) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 10) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 10) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 10) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 10) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 10) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना मिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में मिजवावे एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 10) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 10) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।